

कार्य स्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समय-समय पर अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अनुसार समितियां जारी की गई थीं। संशोधित समितियां इस प्रकार हैं:-

1) निगम कार्यालय

- (i) श्रीमति बिंदु मुरलीधरन, कार्यकारी
- (ii) श्रीमति नीला पी. सेलवन, उप सामग्री प्रबंधक, बेलापुर, सदस्य आईसीसी बेलापुर
- (iii) श्रीमति ज्योती राजेश, सहायक व धातु अधिकारी, सदस्य आईसीसी बेलापुर
- (iv) श्रीमति रश्मी जोशी, गैर सरकारी संगठन से बाहरी सदस्य कार्यकारी निदेशक

कार्यकारी निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), पीठासीन अधिकारी आईसीसी बेलापुर

निदेशक

2) रत्ना गरी कार्यालय

- (i) श्रीमति बिंदु मुरलीधरन, कार्यकारी निदेशक(सूचना प्रौद्योगिकी), पीठासीन अधिकारी आईसीसी कारवार
- (ii) श्रीमति सायली शंदे, क्षेत्रीय कर्मक अधिकारी, रत्ना गरी, सदस्य आईसीसी रत्ना गरी
- (iii) श्रीमति सुधा पंडित, क्षेत्रीय प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी), सदस्य आईसीसी रत्ना गरी
- (iv) श्रीमति शोभना डी. कांबले, गैर सरकारी संगठन से बाहरी सदस्य

3) कारवार कार्यालय

- (i) श्रीमति बिंदु मुरलीधरन, कार्यकारी निदेशक(सूचना प्रौद्योगिकी), पीठासीन अधिकारी आईसीसी कारवार
- (ii) डॉ. वनोद बी. कानतोडे, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मडगाव, सदस्य आईसीसी कारवार
- (iii) श्रीमति लीओरा डी. कुन्हा , सहायक जनसंपर्क अधिकारी, मडगाव, सदस्य आईसीसी कारवार
- (iv) श्रीमति खैरुनिसा शेख, गैर सरकारी संगठन से बाहरी सदस्य

“अदत्तन- 31/03/2025”